न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 08/2020

01. हनुमान प्रसाद } पिसरान विष्णुप्रसाद जातिगण लुहार (पांचाल) निवासीगण
02. कमलेश कुमार } जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल जिला बारां राज0

.....प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

01. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
दायरा दिनांक: 15.07.2020

निर्णय दिनांक : 30.03.2022

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है यह कि ग्राम जलोदा तैजाजी तहसील मांगरोल के खाता संख्या 144 में आराजी खसरा नं. 693 रकबा 0.16 है0 आराजी दर्ज हो रही है। उक्त आराजी में खातेदार कम 2 नवनीत पुत्र विष्णु प्रसाद व खातेदार कम 3 निखलेश नाबालिग पुत्र विष्णु कुमार दर्ज हो रहा है। यह कि राजस्व कर्मचारियों ने नवनीत गलत दर्ज कर दिया है, नवनीत के स्थान पर हनुमान प्रसाद होना चाहिए तथा निखलेश नाबालिक के स्थान पर कमलेश कुमार नाम दर्ज होना चाहिए। यह कि प्रार्थीगण की टी.सी. अंकतालिका, आधारकार्ड व प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत जलोदा तेजाजी पंचायत समिति अन्ता जिला बारां अनुसार प्रार्थीगण का सही नाम हनुमान प्रसाद व कमलेश कुमार है। यह कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम गलत दर्ज कर दिये गये है। जिनको सही किया जाना आवश्यक है जिससे प्रार्थीगण सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर सके व अन्य उलझनो में न पड़े। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खाता संख्या 114 पुराना 108 ग्राम जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल में दर्ज खातेदार नवनीत के स्थान पर हनुमान प्रसाद व निखलेश नाबालिग के स्थान पर कमलेश कुमार किये जाने का आदेश फरमावे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 15.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज शैक्षणिक दस्तावेज/प्रमाणपत्र, आधार कार्ड व ग्राम पंचायत जलोदा तेजाजी के पत्र आदी का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थीगण का नाम हनुमान प्रसाद पुत्र विष्णु प्रसाद व कमलेश पुत्र विष्णु प्रसाद उल्लेखित है। मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार मांगरोल को लिखा गया । तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट पत्रांक:भू.अ. /202/24 दिनांक 2.11.2021 के अनुसार नवनीत व हनुमान प्रसाद एक ही व्यक्ति है इसी प्रकार नाबालिग निखलेश व कमलेश कुमार भी एक ही व्यक्ति है। ग्राम में नवनीत को हनुमान प्रसाद व नाबालिग निखलेश को कमलेश कुमार के नाम से जाना जाता है। अतः नवनीत के

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned with CamScanner

स्थान पर हनुमान प्रसाद व निखलेश नाबालिग के स्थान पर कमलेश कुमार दर्ज किया जाना उचित होगा।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो, बहस वकील पक्षकार तथा बयान गवाहान कौमल प्रसाद पुत्र लटूरलाल जाति मीणा निवासी जलोदातेजाजी व तुलसा बाई पत्नी विष्णुप्रसाद जाति लुहार निवासी जलोदा तेजाजी के आधार पर आराजी खाता संख्या 144 खसरा नं. 693 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादीगण का नाम नवनीत के स्थान पर हनुमान प्रसाद व निखलेश नाबालिग के स्थान पर कमलेश कुमार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादीगण के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादीगण स्वयं जिम्मेवार होंगे। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रद्युम्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned with CamScanner